रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 1973/माघ 30, 1894
No 40] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1973/MAGHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th February 1973

No. 156(14)/72-PYI.—In the Resolution issued by the Ministry of Agriculture (Department of Food) under No. 156(11)/71-PY.I dated the 1st September, 1972 constituting the Advisory Council, Government of India have decided to make the following amendments in the list of non-official members:—

(i) Against S. No. 7, for the words 'Dr. H. A. B. Parpia' the words 'Dr. B. S. Amla' shall be substituted.

(ii) Against S. No. 14, for the words 'Shri Wadud Khan', the words 'Shri S. Z. Varcie' shall be substituted.

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1973

संख्या 156 (14)/72-पालिसी-1.—कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा जारी किए गए संकल्प संख्या 156 (11)/71—पालिसी—1 दिनांक पहली सितम्बर, 1972 में सलाहकार समिति गठित की गई थी। भारत सरकार ने उस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया है:—

(1) क्रम संख्या 7 के प्रति 'डा० एच० ए० बी० पारपिया' शब्दों के लिए 'डा० बी० एस० अमला' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(2) क्रम संख्या 14 के प्रति "श्री बादूद खां' शब्दों के लिए ' श्री एस० जेड० वारसी' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1973